

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

अधिसूचना सं०- 510 /भू0अ0
असाधारण अंक - 05

दिनांक :- 30/05 /2020

दिनांक :-10/ 06 /2020

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम:-कोलाकुसमा, थाना-धनबाद, थाना सं० :- 12 अंचल :- धनबाद, जिला:- धनबाद में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोविन्दपुर NH-02 से महुदा मोड़ से भाया श्रमिक चौक बैंकमोड़ धनबाद पथ निर्माण के कि०मी० 0.00 से 33.850 कि.मी. में चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण का कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है, कि ग्राम:-कोलाकुसमा, थाना-धनबाद, थाना सं० :- 12 अंचल :- धनबाद, जिला:- धनबाद में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.0710 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का वर्गिकरण	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	142	1306	सरकारी		0.0150	गैर आबाद।	1307 एंव रोड	1304, 1309	1308	रोड
2	113	1168	निजी	पुरातन पतित	0.0280	त्रीवेनी देवी अग्रवाल पति-स्व० प्रभु दयाल अग्रवाल	रोड	1169 अंश	1169	1158 एंव रोड
3	142	1167	सरकारी		0.0130	गैर आबाद।	रोड	1158 एंव रोड	1158 एंव रोड	रोड
4	118	137	निजी	गोड़ा-3	0.0150	दयाल महतो	135	156	136	138
कुल					0.0710					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा 11 (1) के उपबंधों की अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अबभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अर्न्तगत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/-

समाहर्ता
-सह-
समुचित सरकार।